राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या (1–12) 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 एवं 1708 / 2017
जिला........अलवर.........

उनवान – मैसर्स लिण्डे इण्डिया लि., भिवाड़ी बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन प्रथम, राजस्थान जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

19 / 12 / 2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह बारह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 व 61 के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13.10.2017 द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुरार विवादित मांग राशियों में से कॉलम 4 में उल्लिखित राशि का ही स्थगन प्रदान किया गया तथा कॉलम 5 में यथा उल्लिखित राशि का स्थगन नहीं दिया गया है, जिसके विरूद्ध ये बारह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	अपी.अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5
1697 / 17	11–12	12,53,002	6,87,520	5,65,482
1698 / 17	11–12	2,02,816	1,10,916	90,996
1699 / 17	12–13	15,10,921	8,57,784	6,52,417
1700 / 17	12–13	3,89,832	2,21,240	1,68,592
1701 / 17	13–14	18,37,508	10,80,650	7,56,859
1702 / 17	13–14	4,77,231	2,80,296	1,96,937
1703 / 17	14–15	60,25,679	36,73,630	23,52,049
1704 / 17	14–15	5,55,457	3,38,434	2,17,023
1705 / 17	15–16	1,01,38,118	64,15,998	37,22,120
1706 / 17	15–16	11,72,770	7,41,712	4,31,058
1707 / 17	16–17	66,68,930	42,20,626	24,48,304
1708 / 17	16–17	6,92,199	4,37,636	2,54,563

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में विक्रीत ऑक्सिजन, नाईट्रोजन एवं आर्गन गैसेज आरवैट एक्ट, 2003 की अनुसूची–IV(B) की प्रविष्टि संख्या 35 के अंतर्गत कवर्ड होने से अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों में इस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा क्रेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक सिलैण्डर में दो या इससे अधिक प्रकार की गैस भरकर विक्रय किया जाता है, जो निष्क्रय होने से उक्त गैसें आपस में मिश्रित नहीं

लगातार....................2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या (1–12) 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 एवं 1708/2017
जिला........अलवर.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2017	होती है, इसलिये अपीलार्थी द्वारा विक्रीत गैस मिश्रित गैस की श्रेणी में नहीं आती है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया तथा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन के पश्चात, यह पाये जाने पर कि प्रस्तुत प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत मिश्रित गैसेज को आरवेट एक्ट, 2003 की अनुसूची IV पार्ट B की प्रविष्टि संख्या 35 से आच्छादित होगी अथवा नहीं ? चूंकि प्रश्नगत बिन्दु प्रविष्टि के interpretation तथा मतभिन्नता से सम्बन्धित है, अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप सारिणी के कॉलम 5 में उल्लिखित राशि का स्थगन स्वीकार किया जाता है। तथापि यह आदेश सुनवाई के दौरान अपील के तथ्यों के गुणावगुण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। उपरोक्त विवेचनानुसार मांग राशि की वसूली पर रोक इस शर्त पर लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करेगा। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे । व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर इन बारह अपीलों के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	